Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

09.06.2020

आवेदक/अभियुक्त शंकर के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्रसिंह चौहान ने ईमेल के माध्यम से शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन मे दर्शित कारण को देखते हुए प्रकरण को सुनवाई मे लिया गया।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा श्री धमेन्द्र चौहान अधि.।

अनावेदक/शासन द्वारा श्रीमति गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक।

आवेदक/अभियुक्त शंकर पारगी पिता लाहलिंग आयु 24 वर्ष, निवासी ग्राम खीरपुर तहसील बाजना जिला रतलाम के अधिवक्ता ने धारा 439 दं.प्र.सं. का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रति विशेष लोक अभियोजक को प्रदान की गई।

आवेदक के आवेदन पत्र के समर्थन मे आवेदक के भाई शंभु पारगी का शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह आवेदक का प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी भी न्यायालय के समक्ष ना तो कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, और ना ही निराकृत हुआ है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग (व्हाट्सअप) के माध्यम से आवेदक के आवेदनपत्र पर तर्क सुने गए।

विशेष सत्र प्रकरण क्र. 218/2019 शासन विरूद्व शंकर पारगी का अवलोकन किया गया।

आवेदक ने अपने आवेदन पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह ट्रॉयल फेस करना चाहता है। वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। जेल मे निरूद्व रहने से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है। वह रतलाम का स्थाई निवासी है। कोरोना वायरस के कारण प्रकरण मे निराकरण मे समय लगने की संभावना है। अतः आवेदक को प्रतिभूति पर मुक्त किए जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि अभियोगी की अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री आयु 15 वर्ष, उसके एवं उसके दूसरे पति के साथ ग्राम फुफीरूंडी मे निवास करती थी। घटना दिनांक 12.10.2019 को दोपहर के लगभग 1 बजे अभियोक्त्री उसकी माता से डॉक्टर को दिखाने के लिए बोलकर गई, परंतु शाम तक घर वापस नहीं आई। अभियोगी एवं उसके पति ने अभियोक्त्री की

Scanned with CamScanner

Case No. ....of 20..

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आसपास एवं रिश्तेदारी मे तलाश की परंतु वह नहीं मिली। अभियोगी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सरवन मे लेखबद्व कराई, जो थाने के अपराध क. 259/2019 धारा 363 भा.दं.सं. के अधीन पंजीबद्व की गई।	
	विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दिनाक 11.12.2019 को अभियुक्त शंकर के आधिपत्य से दस्तयाब किया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के कथन लेखबद्व किए गए, जिसमे अभियोक्त्री ने अभियुक्त शंकर एव एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर थीरपुर बाजना और फिर चित्तौडगढ ले जाकर उसके साथ बलात्संग किए जाने के कथन किए, जिसके आधार पर धारा 366(क), 376 भा.दं.सं. एवं धारा 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम का इजाफा किया गया। अभियुक्त को गिरफतार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।	
	तर्क के दौरान अभियुक्त के विद्धवान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियुक्त को असत्य रूप से फसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह न्यायालय की प्रत्येक शर्तो का पालन करने मे तत्पर है। अभियोक्त्री की आयु के संबंध मे विरोधाभास है। आवेदक लगभग सात माह से अभिरक्षा मे है। कोविड महामारी के कारण वह अपने परिवार का भरण पोषण करने मे असमर्थ है। अतः अभियुक्त को प्रतिभूति पर मुक्त किए जाने का निवेदन किया है।	
	विशेष लोक अभियोजक ने प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।	
	प्रकरण का अवलोकन किए जाने से अभियुक्त द्वारा 15 वर्षीय अभियोक्त्री को जबरन अपने साथ चित्तौडगढ ले जाकर उसके साथ निरंतर बलात्संग किए जाने का आक्षेप है। प्रकरण मे संलग्न दस्तावेज अनुसार अभियोक्त्री 15 वर्ष से कम आयु की होना परिलक्षित है। प्रकरण मे अभियुक्त को असत्य रूप से फसाया जाना दर्शित नहीं है। निरंतर बालकों के साथ बढते हुए अपराध को देखते हुए आवेदक को	

प्रतिभूति पर मुक्त किया जाना उचित नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.स. सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत दिनांक 11.07.2020 को पेश हो।

9/6/20

तरूणसिंह
विशेष न्यायाधीश
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
रतलाम (म.प्र.)

Scanned with CamScanner